गया था, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसे प्रकाशित न करने का क्या कारण है; और

(च) उसे कब तक प्रकाशित कर दिया जायगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) इस का काम १९४८ में आरम्भ हो गया था ।

(ख) इतिहास २४ खण्डों में प्रकाशित किया जायेगा । अब तक १५ खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं । चार खण्ड मुद्रणालय में हैं । शेष ५ खण्डों का कार्य लगभग सम्पूर्ण हो चुका है । और वह शीघ्र ही छापाखाना में भेज दिये जायेंगे । इस काम की कई सैनिक कमांडरों ने जांच की है, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध के विभिन्न समरांगणों में लड़ते हुए वास्तविक भाग लिया था । प्रकाशन से पहले लेखों को एक मन्त्रणा समिति द्वारा स्वीकृत कराना होता है, जिसमें उच्चस्तर के इतिहासज्ञ और कुछ असैनिक और सैनिक अधिकारी होते हैं । अब तक छप चुके खण्डों की जांच करने वालों के नाम का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०)**

(ग) शेष खण्डों के १९६३ तक प्रकाशित होने की आशा है ।

(घ) से (च). आजाद हिन्द फौज के इतिहास का प्रारम्भिक प्रारूप तैयार किया गया था । पर्याप्त सामग्री के अभाव के कारण यह अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाया ।

दिल्ली में वालारिस बच्चे

१७२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है की दिल्ली व नई दिल्ली में लावारिस बच्चोंकी संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष राजधानी में कितने ऐसे लावारिस बच्चे मिले थे, जिन के माता-पिता का पता नहीं लग सका;

(ग) लावारिस बच्चों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन कारणों का निराकरण करने के लिए कौन-से कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

कुलीनगर में खुदाई

१७३१. **श्री विश्वनाथ पाण्डे** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशीनगर (देवरिया, उ० प्र०) जो बौद्ध लोगों का तीर्थ-स्थान है क्या वहां के खण्डहरों की खुदाई भारत सरकार द्वारा होती है और वह स्थान भारत सरकार के प्रबन्ध के अन्तर्गत है;

(ख) बाहर से आने वाले तीर्थ-यात्रियों के निवास-स्थान के लिए वहां पर सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है; और

(ग) पुरातत्व विभाग द्वारा अभी कितने खण्डहर खोदने के लिये बाकी हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) कुशीनगर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ समय पहले खुदाई पूरी की है और वह ज़मीन अब भारत सरकार के संरक्षण में है ।

(ख) वहां तीर्थ यात्रियों और दर्शकों की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा बनवाया हुआ एक विश्राम गृह और निजी निकायों द्वारा बनवाये तीन सार्वजनिक विश्रामगृह या धर्मशालाएं हैं ।

(ग) कुशीनगर में इस समय और खुदाई करना जरूरी नहीं समझा गया है ।

राजस्थान भारत सेवक समाज को अनुदान

१७३२. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री गणपति राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत १९६०–६१ और १९६१–६२ में राजस्थान भारत सेवक समाज को कितना आर्थिक अनुदान दिया गया;

(ख) यह अनुदान किन-किन मदों में खर्च किया गया; और

(ग) राजस्थान के प्रत्येक जिले में खर्च की गई धन राशि का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा को दे दी जायेगी ।

Coal Washeries

1733. **Shri S. C. Samanta:**
Shri Subodh Hansda:
Shri B. K. Das:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. K. Deo:

Will the Minister of **Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Coal Development Corporation propose to set up two coal washeries for coking coal at Ramgarh and Sudamdih with foreign technical assistance;

(b) if so, whether the machineries required for the two washeries will be manufactured indigenously; and

(c) what percentage of indigenous machineries have been purchased or obtained so far?

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): (a) Yes.

(b) and (c). Government's policy is to make maximum utilisation of the indigenously available plant and equipment in setting up of washeries which have not already been tied up with any foreign credit. The washeries at Ramgarh and Sudamdih are in the planning stages and only after the project reports are finalised and aproved, it will be possible to examine the extent to which the indigenously available plant and equipment can be made use of in setting up these washeries.

---

12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Coal Mines (Conservation and Safety) Amendment Rules

The Minister of Mines and Fuel (Shri K. D. Malaviya): I beg to lay on the Table a copy of the Coal Mines (Conservation and Safety) Fifth Amendment Rules, 1962 published in Notification No. G.S.R. 1087 dated the 18th August, 1962, under sub-section (4) of section 17 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-379/62].

Notification under Sea Customs and Central Excises and Salt Act

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications:

(i) G.S.R. No. 1063, dated the 11th August, 1962 under sub-section (4) of section 43B of the Sea Customs Act, 1878

(ii) The Central Excise (15th Amendment) Rules, 1962 published in Notification No G.S.R. 1067, dated the 11th August, 1962, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944.